

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी खेमराज विपक्षी हरिश कुमार  
 किस्म मुकदमा 212 P.T. 105 पत्रावली संख्या 171/16 सन् \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>17/06/2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान अनुपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। उभय पक्षकारान अब तक अनुपस्थित हैं। उभय पक्षकारान को पूर्व में भी बस टिकट के पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। उभय पक्षकारान को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी बस नहीं करने से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उभय पक्षकारान अपने सार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा किया जा रहा है। उभय पक्षकारान आज भी अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 मय स्वयं विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अदम राजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली